[illegible]

— कालीबाई पुत्री काना भील निवासी खासा का खेडा तह0 बेगू

.... वादीगण

— बनाम —

1:— विनय कुमार पिता कालुलाल जाति मारू निवासी सुराणा मोहल्ला चित्तौडगढ

2:— श्री तहसीलदार सा. भूमिधारी तहसिल बेगू

3:— श्रीमान कलेक्टर सा. प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौड़गढ़

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: अशोक शर्मा
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 29—08—2023

निर्णय वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि—

मौजा पीपलीखेडा प0ह0 जयनगर वादीगण की पैत्रक आवंटन शुदा गैर खातेदारी की कृषि आराजीयात स्थित है की खाता संख्या 131 आराजी संख्या 674 /70 रकबा 1.0300 है0 भूमि हम वादीगण के पिता काना पिता कालु भील के नाम से जरिए इंतकाल सं. 64 दिनांक 08—07—1972 को आराजी सं. 674/70 आवटन हुई थी। हम वादीगण के पिता काना पिता कालू जी भील ने आवंटन दिनांक 08—07—1972 से मौजा पीपलीखेडा की आराजी सं. 674/395 रकबा 1.0300 है0 भूमि पर काबिल काश्त बनाकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। आराजी सं. 674/70 हम वादीगण के पिता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में आवंटन दिनांक से ही दर्ज हुई थी लेकिन मौके पर आवंटन दिनांक से ही हम वादीगण के पिता को आवंटन कमेटी के द्वारा व राजस्व कर्मचारियों के द्वारा 674/395 पर कब्जा करा कब्जा सिपुर्द किया। तब से ही हम वादीगण के पिता उक्त आराजी सं. 674/395 पर काबिज हो काश्त कर रहै है। इतना ही नहीं मौजा पीपलीखेडा की वर्तमान आराजी सं. 757/395 का मौके व राजस्व के रिकॉर्ड के वर्तमान नक्शे में भी रकबा 1.3900 है0 भूमि दर्ज होकर मौके पर विद्यमान है तथा हम वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 उक्त आराजी के रकबे 1.0300 है0 भूमि पर हम वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 रकबा 0.3600 है0 भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहा है।

यह कि आराजी सं. 674/395 रकबा 1.0300 है0 भूमि के बजाय आराजी सं. 674/395 रकबा 1.0300 है0 पर कई वर्षो से भूमि निरंतर निर्बाद से हम वादीगण का कब्जा काश्त होकर हम वादीगण ने उक्त आराजी सं. 674/395 रकबा 1.0300 है0 भूमि को काफी मेहनत व खर्च कर काबिल काश्त बनाई और मौके पर आ[illegible] हेतू हम वादीगण ने पत्थरों की कोट कर रखी है लेकिन हम वादीगण भील ज[illegible] कर ग्रामिण परिवेश व कम पंड़े लिखे होने से इसकी जानकारी नहीं ले[illegible]। हम वादीगण ने अपनी खातेदारी आरा[illegible] जानकारी में [illegible]की हमारा कब्जा गैर खातेदारी की आराजी सं. 674/70 रकबा [illegible]300 है0 पर ना हो[illegible]राजी सं. 674/395 रकबा 1.0300 है0 भूमि पर चला आ रहा है तक हम वादीगण ने हल्का पटवारी से आराजी सं. 674/70 के बजाय आराजी सं. 674/395 रकबा 1.0300 है0 भूमि को अपने नाम गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज के लिए निवेदन किया लेकिन पटवारी ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा इसतिए हम वादीगण को आराजी सं. 674/70 के बजाय आराजी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:11 IST
Reason: SelfAttested

1. ... खातेदारी की आराजी सं. 674/70 ... के नाम से गैर खाते...
खातेदारी की आराजी सं. 674/70 ... हैo भूमि को हम वादीगण के नाम से गैर ...
674/395 रकबा 1.0300 हैo भूमि को हम वादीगण के नाम से गैर खाते... नक्शे में भी अमल
खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में व मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में भी अमल
दरामद कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति हम वादीगण के पक्ष में प्रदान कराइ जाये
एवं आराजी सं. 674/70 से हम वादीगण का नाम डिलिट किये जाने की घोषणात्मक
अज्ञप्ति हम वादीगण के पक्ष में
2. अन्य कोई अनुतोष सुलभ हो हम वादीगण को प्रदान कराया जावे।
वाद आ. धा. 88 आर.टी.एक्ट. का दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये
सम्मद से तलब कीया गया। प्रतिवादी सं. 1 का सम्मन बार-बार अदम तामिल प्राप्त होने
से प्रतिवादी सं. 1 का सम्मन दैनिक समाचार राजस्थान पत्रिका के माध्यम से दिनांक
10-08-23 को साया किया गया किन्तु इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी
सं. 1 के विरूद्व 1 तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये प्रतिवादी सं. 2, 3 की और से
जवाब प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार से है।
यह सही है कि प्रार्थीगण के नाम पर ग्राम पीपलीखेडा आराजी सं. 674/70 रकबा 1.03
हैo भूमि दर्ज रिकॉर्ड है प्रार्थीगण के पिता श्रीकाना पिता कालू भील निवासी खासाखेडा को
ग्राम पीपलीखेडा में भूप्रबन्ध से पूर्व आराजी सं. 30/2 में रकबा 5 बीघा भूमि दिनांक
06-10-1971 को आवंटन हुई जिसके नवीन नं. 674/70 होकर रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा
बनता है जिसका नामान्तरण सं. 64 से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ है।
पटवार हल्का द्वारा तैयार पर्चा मौका व रिपोर्ट अनुसार वादीगण का आराजी सं. 674/395
में कई वर्षो से कब्जा होकर काश्त की जा रही है। यह सही है कि वादीगण के पिता को
आराजी सं. 674/70 में भूमि आवंटन हुई थी वादीगण का आवंटन दिनाक से उक्त
आराजीयात में कब्जा नहीं होकर आराजी सं. 674/395 में कब्जा काश्त है पटवार हल्का
की रिपोर्ट अनुसार भी आराजी सं. 757/395 का रकबा राजस्व नक्शे में 1.39 हैo है।
उक्त सम्पुर्ण रकबे में वादी का रकबा 1.03 हैo व प्रतिवादी विनय कुमार का 0.36 हैo भूमि
पर कब्जा है इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 आपस में पडोसी कृषक है। जमाबन्दी
में उक्त आराजी सं. 757/395 का रकबा 0.36 हैo है इस प्रकार जमाबन्दी व राजस्व
नक्शे में भिन्नता होकर रकबा 0.36 हैo के बजाय 1.39 हैo किया जाना न्यायाचित है यह
सही है वादीगण का आराजी सं. 674/395 रकबा 1.03 हैo पर कई वर्षो से कब्जा होकर
काश्त कर रहे है तथा उक्त आराजीयात पर पत्थर की दिवार बना रखी है। वादीगण को
आवंटन 674/70 में किया गया था परन्तु वादी का कई वर्षो से कब्जा आराजी सं.
674/395 में होने से व उक्त आराजीयाज पर पत्थर की दिवार बनाने से कब्जा गलत
दिया जाना प्रतीत होता है। वादीगण के नाम आराजी सं. 674/70 के बजाय आराजी सं.
674/395 कब्जे के आधार पर गैर खातेदारी हक से राजस्व रिकॉर्ड अंकन किया जाकर
अनुतोष दिया जाना उचित है रिपोर्ट पटवारी व पर्चा मौका जवाब दावे के साथ सलग्न है।
प्रकरण में प्रस्तुत जवाब दावे ... वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन करने से
प्रकरण में तनकी कायम नहीं गई प्र... वादी हेतु हैमराज देबीलाल के शपथ पत्र
प्रस्तुत कर बयान कलम बद्व कर दस्ता... कराये। नकल जमाबन्दी सम्वत
2078-2078 प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सं... 2073 से 2076 प्रदर्श 2 नकल नक्शा ट्रेस
प्रदर्श 3 व 4 नकल नामान्तरण सं. 64 प्र... 5 है।
प्रकरण में बयान कलम बद्ध होने के पश्चात वकील वादी की बहस सुनी गई एवं
प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो व जवाब दावे के साथ प्रस्तुत पर्चा मौका रिपोर्ट व पटवारी
रिपोर्ट का गहन अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:11 IST
Reason: SelfAttested

अंकन होने से होती है।

प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी संवत 2078–2078 खाता सं0 674/70 रकबा 1.0300 है0 भूमि काना पिता कालू भील के नाम गेर खातेदारी से दर्ज अंकित है। यह भूमि काना पिता कालू भील को खासा का खेड़ा में दिनांक 08.07.1972 को आवंटन होने से काना पिता कालू के गेर खातेदार से दर्ज हुई है। जिसकी पुष्टि तहसीदलार बेगुं के जवाब दावे में अंकन होने से सिद्ध होती है। प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी 2073–76 आराजी सं0 757/395 विनय कुमार पुत्र कालूलाल मारू के दर्ज अंकित है। प्रदर्श 3, 4 नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5 नकल नामांतरण सं0 64 में काना पिता कालू भील निवासी खासा का खेड़ा के नाम आवंटन होने से खोला गया है।

वादी के वादपत्र में अंकितानुसार काना पिता कालू भील को आराजी सं0 674/70 आवंटन हुई थी। लेकिन मोके पर आवंटन दिनांक से ही काना पिता कालू भील को आवंटन कमेटी के द्वारा व राजस्व कर्मचारियों के द्वारा कब्जा 674/395 पर करा कब्ज़ा सुपुर्द किया। तब से ही हम वादीगण के पिता उक्त आराजीयात सं0 674/395 पर काबिज हो काश्त कर रहे है। मौजा पीपलीखेड़ा की वर्तमान आराजी सं0 757/395 का मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड के वर्तमान नक्शे में भी रकबा 1.3900 है0 भूमि दर्ज होकर विद्यमान है। जिसमें वाद का रकबा 1.0300 है0 है व प्रतिवादी का रकबा 0.03600 है0 भूमि है। इसकी पुष्टि तहसीलदार बेगूं के जवाब दावे से होती है। वादीगण के पिता काना पिता कालू भील के पक्ष में जो नामांतरण सं0 64 दिनांक 13.11.1977 खोला जाकर गेर खातेदारी हक से दर्ज किया गया था। तभी से आवंटित भूमि 674/70 के बजाय आवंटी 674/395 पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आराजी सं0 674/395 जो कि बिलानाम भूमि पर वादी का प्रतिकुल कब्जा काश्त वक्त आवंटन से ही होने से वादी अपने नाम पर भूमि खातेदारी अधिकार पाने की घोषणा करवाना चाहते है। इस संबंध में प्रतिवादी भूमिधारी द्वारा अपने जवाब में भी कई वर्षों से कब्जा काश्त आराजी सं0 674/395 पर होने का उल्लेख किया है तथा कोई विरोध अपने जवाब में नहीं किया है। वादी हेमराज व स्वतंत्र गवाह देवीलाल ने अपने बयानों में बताया कि आवंटित भूमि पर कब्जा आराजी सं0 674/395 रकबा 1.0300 है0 भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे है।

जहां तक दस्तावेजों का प्रश्न है आवंटित भूमि की आराजी सं0 674/70 रकबा 1.0300 है0 भूमि के मुकाबले यदि हम वादीगण को बिलानाम भूमि आराजी सं0 674/395 रकबा 1.0300 है0 भूमि की खातेदारी देते है तो आराजी सं0 674/70 रकबा 1.0300 है0 भूमि का क्या होगा ? यह विचारणीय प्रश्न है चूंकि समस्त दस्तावेज मौका पर्चा एवं तहसीलदार के जवाब तथा वादी गवाह एवं स्वतंत्र गवाहों के बयानों से यह सामने आया है कि आवंटित भूमि 674/70 थी किन्तु आवंटन के समय से ही आवंटी आराजी सं0 674/395 पर काबिज हो काश्त कर रहा है। चूंकि आवंटन वर्ष 08.07.1972 का होकर कब्जा भी तभी से मानाा जावेगा किंतु बिलानाम [illegible] घोषणा किये जाने से पूर्व हम उचित समझते है कि आवंटित [illegible] आराजी सं0 674/70 रकबा 1.0300 है0 भूमि को बिलानाम घोषित करते हुए वादी का कब्जे काश्त [illegible] आराजी सं0 674/395 रकबा 1.0300 है0 भूमि की घोषणा वादी के पक्ष में करें ताकि राज्य सरकार की भूमि के बदले में उन्हें उतना ही रकबा राज्य सरकार में बिलानाम हो सके। आवंटन दिनांक से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण का वर्णित गेर खातेदारी आराजी को खातेदारी में दर्ज कराने की घोषणा करा पाने के अधिकारी पाये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:11 IST
Reason: SelfAttested

तः वाद वादीगण का वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। जा पीपलीखेड़ा प0ह0 जयनगर में वादीगण की गेर खातेदारी की आराजी सं0 674/70 रकबा 1.0300 है0 भूमि को बिलानाम सरकार घोषित करते हुए वादीगण के प्रतिकूल कब्जे काश्त की आराजी मौजा पीपलीखेड़ा प0ह0 जयनगर की आराजी सं0 674/395 रकबा 1.0300 है0 भूमि को वादीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

आदेश आज दिनांक 29.08.2023 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाशचन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:11 IST
Reason: SelfAttested